

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: प्र0स0-2/74498-505 /2015-16 दिनांक: 03/03/2016

प्रबन्धक,

मदर्स पब्लिक स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम)

महेशपुरा ठाकुरान, करेली, क्यारा-बरेली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

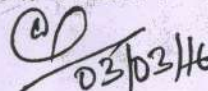
आपके दिनांक 03/08/2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं मदर्स पब्लिक स्कूल, महेशपुरा ठाकुरान, करेली, क्यारा-बरेली को दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-एन0सी0 से कक्षा-आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा :-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।


PRINCIPAL
MOTHER'S PUBLIC SCHOOL


For Smt. Mahi Devi Memorial Trust
Chairman

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —

कुल निर्मित क्षेत्र —

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल —

कक्षाओं की संख्या —

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडारगृह के लिए कक्ष —

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक-प्रथक शौचालय —

पेयजल सुविधा —

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई —

बाधारहित पहुँच —

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता —

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

40/03/22/16

For Smt Matri Devi Memorial Trust
Chairman

Sheeba
PRINCIPAL
MOTHER'S PUBLIC SCHOOL

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 04/2015-16 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(देवेन्द्र स्वरूप)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पू0सं0: प्र0स0-2/

/2015-16 तददिनॉक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल-बरेली।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
- 5- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
- 6- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
- 7- खण्ड शिक्षा अधिकारी कयारा, बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

For Smt Malti Devi Memorial Trust

Chairman

Sheeba.

PRINCIPAL
MOTHER'S PUBLIC SCHOOL